

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-II/

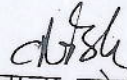
दिनांक 26/06/14

नोटिस

निदेशालय के आदेश क्रमांक 406/2013-14 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा आपका स्थानान्तरण/पदस्थापन निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर से राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर में किया जाकर निर्देशित किया गया था कि कार्यग्रहणकाल का उपयोग किये बिना नवीन पदस्थापन पर अविलंब कार्यग्रहण करेंगे। लेकिन आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं करने पर कार्यालय आदेश 4719-4754 दिनांक 19.06.2014 के द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया कि नव पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की सूचना अविलंब इस निदेशालय को भिजवाये। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। इसके उपरांत भी आप द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना निदेशालय को प्रेषित नहीं की है।

कार्यमुक्ति आदेश जारी करने के उपरांत भी आप द्वारा नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया अपितु प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य से राजस्थान सेवा नियम-141 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी की सहमति आवश्यक होने तथा राजस्थान मदरसा बोर्ड प्रतिनियुक्ति का पद होने के कारण प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करना चाहते हैं। स्थानान्तरण निरस्त /अन्यत्र करने हेतु स्पष्ट लिखा है। राजस्थान सेवा नियम-141 "उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवायें किसी ऐसे निगम अथवा निकायों में स्थानान्तरित करनी होती हैं जिन पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से हो।" इस प्रकार आप द्वारा राजस्थान सेवा नियम-141 का गलत उद्धरण व सहारा लिया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि आप राजकीय आदेशों की पालना नहीं करना चाहते अर्थात् राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के अभ्यस्त हैं। आपका उक्त कृत्य राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना व अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अतः पुनः एक और मौका दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलंब दिनांक 30.06.2014 तक कार्यग्रहण कर सूचना मेल/फैक्स से प्रेषित करें। दिनांक 30.06.2014 तक कार्यग्रहण सूचना प्राप्त नहीं होने पर आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई प्रारंभ कर दी जावेगी।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

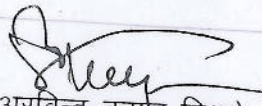
श्री जितेन्द्र कुमार जोशी, लेखाकार
68/90

कार्यालय- निदेशक, स्थानीय निकाय,
जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-II/ 4896-98
प्रतिलिपि-

दिनांक 26/06/14

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि श्री जोशी को नवीन कार्यालय में कार्यग्रहण करने तक वेतन भुगतान नहीं किया जावे।
2. उप निदेशक (ए.सी.पी.) को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)